बिन्दु सं0–12

सहायिकी कार्यकमों के निष्पादन की विधि, जिसमें प्रदान किये गये धनराशि एवं इन कार्यकमों के लाभकारियों के विवरण शामिल है? :–

विभाग द्वारा संचालित योजनायें/शैक्षिक/आर्थिक कार्यकम एवं उपलब्धियों का विवरणः–

विभाग द्वारा संचालित 9 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में बालिकाओं हेतु दो जूनियर हाई स्कूल स्तर एवं एक प्राइमरी स्तर के विद्यालय संचालित हैं। इसी प्रकार शेष 6 विद्यालयों में एक विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक तथा पॉच (कक्षा 6–8 तक के) जूनियर हाई स्कूल स्तर के विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में छात्र/छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, भोजन, वस्त्र, आवास, स्टेशनरी, दवा आदि की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। इन विद्यालयों में छात्र/छात्राओं की कुल क्षमता 1060 है। जनपद बलरामपुर में 50 छात्रों की क्षमता का एक छात्रावास संचालित है। स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों को भी अनुदान दिया जाता है। पूर्वदशम एवं दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी है। वर्ष 2007–2008 में पूर्वदशम्/दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना से कुल 67932 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

प्रदेश में संचालित परियोजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :–

1– एकीकृत जनजाति विकास परियोजना चन्दन चौकी लखीमपुर–खीरी।

2– थारू विकास परियोजना विशुनपुर विश्राम बलरामपुर ।

3– बुक्सा आदिम जनजाति विकास परियोजना नजीबाबाद बिजनौर।

4– बिखरी जनजातियों का विकास (बहराइच एवं महराजगंज)

वित्तीय वर्ष 2004–2005 में आयोजनागत पक्ष में रू0 318.62 लाख तथा आयोजनेत्तर पक्ष में रू0 301.46 लाख कुल रू0 620.08 लाख की धनराशि व्यय की गयी। इसी प्रकार वर्ष 2005–06 में जनवरी, 2006 तक आयोजनागत पक्ष में रू0 94.14 लाख तथा आयोजनेत्तर पक्ष में रू0 259.48 लाख कुल रू0 353.62 लाख की धनराशि व्यय की गयी है। जनपद लखीमपुर–खीरी के सोनहा ग्राम में अनुसूचित जनजाति के बालकों के लिए कक्षा 6 से 12 तक के आवासीय विद्यालय का निर्माण किया गया है।

अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याणकारी कार्यकम

वर्ष 2007–2008 का वास्तविक व्यय वर्ष 2008–2009 का आय–व्ययक प्राविधान एवं वर्ष 2009–2010 का आय–व्ययक निम्न प्रकार हैः–

(रू0 लाख में)

वर्ष		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
2004–2005 (वास्तविक व्यय)	(मतदेय)	318.62	301.46	620.08
	(भारित)	–	–	–
2005–2006 (आय–व्ययक अनुमान)	(मतदेय)	1286.05	370.51	1656.56
	(भारित)	–	0.10	0.10
2005–2006 (पुनरीक्षित)	(मतदेय)	1286.05	370.51	1656.56
	(भारित)	–	0.10	0.10
2006–2007 (आय–व्ययक अनुमान)	(मतदेय)	2235.85	387.82	2623.67
	(भारित)	–	0.10	0.10

वर्तमान समय में कुल 15 जातियॉ अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित हैं। यह जातियॉ शैक्षिक, आर्थिक एंव सामाजिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़ी हुयी हैं तथा इनके विकास की गति मंद है। चतुर्थ पंच वर्षीय योजनाकाल से ही इनके विकास हेतु सुनियोजित ढ़ग से योजनाऍ कार्यान्वित की जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2007–08 में कुल रू0 1556.89 लाख की धनराशि व्यय की गयी है। वर्ष 2008–09 में उपलब्ध रू0 4046.28 लाख के प्राविधान के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि रू0 2427.21 लाख के विरूद्ध माह मार्च 2009 तक रू0 1785.96 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2009–10 में कुल रू0 4010.75 लाख की धनराशि आय–व्ययक में प्राविधान किया गया है।

निदेशन एंव प्रशासन :–

इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं के संचालनार्थ निदेशालय स्तर एंव जनपद स्तर पर अधिकारी/कर्मचारी तैनात हैं जिनके लिए स्थापना अधिष्ठान मद पर व्यय हेतु धनराशि की व्यवस्था की जाती है। वर्ष 2004–2005 में रू0 43.48 लाख व्यय किये गये। वर्ष 2005–2006 में माह जनवरी 2006 तक रू0 40.81 लाख व्यय किये गये। वर्ष 2006–2007 में रू0 67.78 लाख व्यय किये जाने का प्रस्ताव है।

(रू0 लाख में)

वर्ष		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
2004–2005(वास्तविक व्यय)	(मतदेय)	–	43.48	43.48
2005–2006 (अनुमान)	(मतदेय)	–	55.42	55.42
	(भारित)	–	0.10	0.10
2005–2006 (पुनरीक्षित)	(मतदेय)	–	55.42	55.42
	(भारित)	–	0.10	0.10
2006–2007 (आय–व्ययक अनुमान)				
	(मतदेय)	–	67.78	67.78
	(भारित)	–	0.10	0.10

आर्थिक विकास :–

प्रदेश में निवास करने वाली ऐसी अनुसूचित जातियॉ जो अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित नहीं की गयी हैं के व्यक्तियों को जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं को कृषि बागवानी तथा कुटीर उद्योग कार्यकमों द्वारा लाभान्वित किया जाता है। वर्ष 2004–05 में उक्त योजना पर रूपये 16.91 लाख व्यय किये गये है। वर्ष 2005–06 में माह जनवरी, 2006 तक 0.43 लाख किया गया है तथा वर्ष 2006–07 में रू0 20.00 लाख का आय–व्ययक में प्राविधान किया गया है, जिसका योजनावार विवरण निम्न प्रकार है :–

कृषि तथा बागवानी :–

प्रदेश में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों की जीविका का प्रमुख साधन कृषि है उनकी आर्थिक दशा सुधारने के उद्देश्य से मैदानी क्षेत्र के सोनभद्र मिर्जापुर, चन्दौली, इलाहाबाद, चित्रकूट, झांसी जनपदों में निवास करने वाली गैर अनुसूचित जनजातियों के लिये कृषि तथा बागवानी के निमित्त अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। यह अनुदान ऐसे व्यक्तियों को स्वीकृत किया जाता है जिनकों नयी भूमि का आवंटन किया गया है तथा जिसका धनाभाव के कारण विकास नहीं किया जा सकता है। जनजाति क्षेत्र में कृषि विकास सम्बन्धी योजनाओं का संचालन भार जनजाति विकास निदेशालय को सौंपा गया है। वर्ष 2004–05 से प्राविधानित धनराशि एवं व्यय की गयी धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है :–

(रूपये लाख में)

वर्ष	आय–व्ययक प्राविधान आयोजनागत	व्यय की गयी धनरग्रशि	लक्ष्य	प्राप्ति
2004–2005	10.00	9.97	1000	997
2005–2006	10.00	0.04	1000	4
2006–2007	10.00	9.90	1000	–
2007–2008	10.00	–	1000	–
2008–2009	10.00	3.40	1000	340

कुटीर उद्योग :–

जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया कि अधिकांश जनजातियॉ कृषि पर निर्भर है। जिन गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के पास कृषि पर्याप्त नहीं है और पुराने धन्धे ही अपनाना चाहते है उन्हें नये तकनीकी विकास के साथ उनके धन्धों के पुराने तरीकों में विविध परिवर्तन लाकर उन्हें लघु कुटीर उद्योग स्थापित करने हेतु अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। वर्ष 2004–05 से स्वीकृत धनराशि एवं व्यय विवरण निम्न प्रकार है :–

(रूपये लाख में)

वर्ष	आय–व्ययक प्राविधान आयोजनागत	व्यय की गयी धनराशि	लक्ष्य	प्राप्ति
2004–2005	10.00	6.94	176	120
2005–2006	10.00	0.39	176	7
2006–2007	10.00	9.26	176	–
2007–2008	20.00	–	352	–
2008–2009	10.00	–	176	–

शैक्षिक कार्यक्रम :–

अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक उत्थान हेतु संचालित योजनाओं पर वर्ष 2004–2005 में व्यय की गयी धनराशि, वर्ष 2005–2006 में किये गये आय–व्ययक प्राविधान तथा वर्ष 2006–2007 में प्राविधानित धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है:–

(रू0 लाख में)

वर्ष		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
2004–05 (वास्तविक व्यय)	(मतदेय)	248.69	184.80	433.49
2005–06 (आय व्ययक अनुमान)	(मतदेय)	812.77	233.34	1046.11
2005–06 (पुनरीक्षित)	(मतदेय)	812.77	233.34	1046.11
2006–07 (आय–व्ययक अनुमान)	(मतदेय)	2031.49	235.29	2266.78

शैक्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत वित्तीय वर्श 2004–05 में कुल 9 योजनाएँ संचालित हैं, जिनका योजनावार विवरण निम्न प्रकार हैः–

1– दशमोत्तर कक्षाओं में छात्रों को छात्रवृत्ति।
2– अनुसूचित जनजातियों की सहायता प्राप्त पाठशालाओं, पुस्तकालयों व छात्रावासों के सुधार/विस्तार हेतु अनुदान।
3– छात्रावासों के संचालन एंव छात्रावासों का निर्माण।
4– आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन एंव भवनों का निर्माण।
5– बुक बैंक की स्थापना।
6– पूर्वदशम छात्रवृत्ति।
7– राजकीय आद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन एंव भवन निर्माण।
8– अनुसूचित जनजातियों की छात्राओं हेतु यूनीफार्म एंव बाइसिकिल अनुदान।
9– जनजाति विकास पर शोध कार्य हेतु छात्रवृत्ति।

शैक्षिक कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों की छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एंव निःशुल्क शिक्षा दिये जाने का प्राविधान है। प्रदेश के इन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं, जो दूर–दराज से आते हैं, उनके लिए आवासीय सुविधा हेतु जनपद बलरामपुर में एक छात्रावास संचालित है, जिसकी क्षमता 50 छात्रों की है। प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित किये गये हैं, जिसमें गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले जनजाति बालक/बालिकाओं को शासन द्वारा निःशुल्क शिक्षा एंव आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है तथा उन बालक/बालिकाओं पर होने वाला भोजन, वस्त्र एंव स्टेशनरी आदि का समस्त व्यय शासन द्वारा वहन किया जाता है। यह 9 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय प्रदेश के 6 जनपदों में संचालित हैं। जनपद लखीमपुर–खीरी में 3 विद्यालय, जनपद बलरामपुर में 2 विद्यालय तथा जनपद बहराइच, श्रावस्ती, बिजनौर एंव महराजगंज में एक–एक विद्यालय संचालित है, जिनका विवरण इस योजनान्तर्गत निम्नवत दिया गया है। यह विद्यालय जूनियर हाईस्कूल स्तर के 8 तथा प्राइमरी स्तर के एक हैं, जिसमें बालिकाओं के लिए जूनियर हाईस्कूल स्तर के 2 तथा बालकों के लिए 6 विद्यालय हैं। बालिकाओं के लिए प्राइमरी स्तर का एक विद्यालय है। इनकी कुल क्षमता 1060 छात्र/छात्राओं की है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा जनजाति छात्राओं को यूनीफार्म एंव बाइसिकिल अनुदान की योजना वित्तीय वर्ष 2003–04 में नई स्वीकृत की गयी हैं। वित्तीय वर्ष 2005–06 में उपरोक्त वर्णित विद्यालयों में से 3 विद्यालय यथा राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय विशुनपुर विश्राम बलरामपुर (बालिका, कक्षा 6 से 8 तक), बालापुर बलरामपुर (बालक, कक्षा 6 से 8 तक) तथा सिरसिया श्रावस्ती (बालक, कक्षा 6 से 8 तक) को कक्षा–12 तक साहित्य एवं विज्ञान वर्ग में उच्चीकृत किया गया है। जिसके लिए वित्तीय वर्श 2005–06 में रू0 120.39 लाख की व्यवस्था आय–व्ययक में की गई है।

शैक्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004–05 में रू0 433.49 लाख की धनराशि व्यय की गयी तथा वर्ष 2005–06 में माह जनवरी, 2006 तक रू0 236.29 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2006–07 में रू0 2126.78 लाख की धनराशि आय–व्ययक में व्यवस्थित की गयी है।

दशमोत्तर कक्षाओं की छात्रवृत्ति :–

दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले जिन छात्र/छात्राओं के अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा रू0 100000/– तक है उन्हें छात्रवृत्ति की सुविधा निम्नवत् दरों के आधार पर अनुमन्य किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

क0सं0	ग्रुप का नाम	छात्रावृत्ति की दरें	
		छात्राावासीय	डेस्कालर
1–	ग्रुप–1	740/–	330/–
2–	ग्रुप–2	510/–	330/
3–	ग्रुप–3	355/–	185/
4–	ग्रुप–4	235/–	140/

इस योजना के अन्तर्गत आय–व्ययक प्राविधान एवं व्यय की गयी धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है। वर्ष 2004–05 में आयोजनेत्तर पक्ष में रू0 7.00 लाख तथा आयोजनागत पक्ष में रू0 112.62 लाख की व्यवस्था आय–व्ययक में की गयी थी। जिसके सापेक्ष आयोजनेत्तर पक्ष में रू0 6.83 लाख तथा आयोजनागत पक्ष में रू0 80.66 लाख कुल रू0 87.49 लाख की धनरा□ा व्यय की गयी है। वित्तीय वर्ष 2005–06 में आयोजनागत पक्ष में रू0 100.00 लाख तथा आयोजनेत्तर पक्ष में रू0 7.00 लाख कुल रू0 107.00 लाख की व्यवस्था आय–व्ययक में की गयी है। जिसके सापेक्ष माह जनवरी, 2006 तक रू0 14.22 लाख व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2006–07 में आयोजनागत पक्ष में रू0 470.85 लाख एवं आयोजनेत्तर पक्ष में रू0 7.00 लाख कुल रू0 477.85 लाख की व्यवस्था की गयी हैं।

(रूपये लाख में)

वर्ष	आय–व्ययक प्राविधान		व्यय की गयी धनराशि		लक्ष्य	उपलब्धि
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर		
2004–2005	112.62	7.00	80.66	6.83	5183	5079
2005–2006	100.00	7.00	7.98	6.24	5183	750
2006–2007	470.85	7.00	204.11	6.93	28105	
2007–2008	100.00	268.81	–	110.78	23706	11019
2008–2009	100.00	268.81	–	90.00	21063	2339

स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा विद्यालयों के रख–रखाव हेतु सहायता :–

अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्राइमरी पाठशालाओं एवं बालवाड़ी के संचालनार्थ स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत करने की योजना वर्ष 1979–80 से संचालित की गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004–2005 में रू0 5.84 लाख व्यय किये गये हैं तथा वित्तीय वर्ष 2005–2006 में माह जनवरी, 2006 तक रू0 1.61 लाख व्यय किया गया है तथा वर्श 2006–2007 में रू0 6.00 लाख व्यय किये जाने की व्यवस्था आय–व्ययक में की गयी है।

(रूपये लाख में)

वर्ष	आय–व्ययक प्राविधान			वास्तविक व्यय		
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
2004–2005	–	5.95	5.95	–	5.84	5.84
2005–2006	–	5.95	5.95	–	1.61	1.61
2006–2007	–	6.00	6.00	–	–	–
2007–2008	–	6.00	6.00	–	6.00	6.00
2008–2009	–	15.31	15.31	–	7.62522	–

छात्रावास :–

प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को निःशुल्क आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जनपद बलरामपुर के मुख्यालय पर मात्र एक छात्रावास संचालित है। इसके अतिरिक्त बरगदवा महराजगंज में 50 छात्रों की क्षमता के एक जनजाति छात्रावास संचालित किये जाने की स्वीकृति वित्तीय वर्श 2006–07 से प्रदान की गयी है। जिसके लिए आय–व्ययक में रू0 6.06 लाख की व्यवस्था की गयी है। नीचे दिये गये विवरण के अनुसार आयोजनागत पक्ष में जो धनराशि दर्शायी गयी है वह छात्रावासों के निर्माण एवं नये जनजाति छात्रावास के संचालन के लिये व्यवस्थित है।

वर्ष 2004–2005 में आयोजनेत्तर पक्ष में रू0 4.42 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2005–2006 में माह जनवरी, 2006 तक आयोजनेत्तर पक्ष में रू0 3.59 लाख व्यय किया गया तथा वर्ष 2006–07 में नये छात्रावासों के निर्माण हेतु आयोजनागत पक्ष में रू0 20.00 लाख एवं नये छात्रावास के संचालन हेतु रू0 6.06 लाख कुल रूपया 26.06 लाख तथा पूर्व से जनपद बलरामपुर के मुख्यालय पर संचालित एक जनजाति छात्रावास हेतु आयोजनेत्तर पक्ष में रू0 8.45 लाख कुल रू0 34.51 लाख की व्यवस्था आय–व्ययक में किया गया है।

(रूपये लाख में)

वर्ष	आय–व्ययक प्राविधान			वास्तविक व्यय		
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
2004–2005	41.22	7.33	48.55	–	4.42	4.42 एक छात्रावास
2005–2006	41.22	8.03	49.25	–	3.59	3.59 एक छात्रावास
2006–2007	26.06	8.45	34.51	–	–	–
2007–2008	9.49	6.58	16.07	1.00	6.58	7.58
2008–2009	8.92	10.19	19.11	–	4.71884	4.71884

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय :–

अनुसूचित जनजातियों के बालक/बालिकाओं के शैक्षिक विकास एवं उत्थान के लिये उचित ढंग से शिक्षा दिये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में 9 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित किये गये है, जहां पर बालक/बालिकाओं की शिक्षा, भोजन, वस्त्र आवास एवं पुस्तकें आदि की सभी सुविधायें निःशुल्क प्रदान की जाती है।

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को भोजन व्यवस्था हेतु रू0 550 प्रतिमाह, सूती तथा ऊनी वस्त्र की व्यवस्था के अन्तर्गत रू0 400.00 प्रति छात्र तथा लेखन सामग्री कय हेतु कक्षा 1 से 8 तक रू0 100.00 प्रति छात्र वार्षिक दर से प्राविधान किया गया है। वर्ष 2004–2005 से इन विद्यालयों के संचालन पर निम्न प्रकार से व्यय किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2008–09 में भोजन व्यवस्था हेतु पुनरीक्षित दर 1200/– प्रतिमाह सूती वस्त्र व्यवस्था हेतु रू0 850/– प्रति छात्र प्रति वर्ष तथा ऊनी वस्त्र हेतु रू0 1400/– प्रति छात्र प्रत्येक तीन वर्ष के लिए व्यवस्था की गयी हैः–

(रूपये लाख में)

वर्ष	आय–व्ययक प्राविधान			व्यय की गयी धनराशि			लक्ष्य	उपलब्धि
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग		
2004–2005	320.95	158.63	479.58	44.89	132.12	177.01	9	9
2005–2006	435.23	175.86	611.09	–	109.81	109.81	9	9
2006–2007	212.64	177.34	389.98	–	–	–		

वित्तीय वर्ष 2004–2005 में आयोजनेत्तर पक्ष एवं आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 177.01 लाख व्यय करके 9 विद्यालयों को लाभान्वित किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2005–2006 में माह जनवरी, 2006 तक कुल रू0 109.81 लाख व्यय करके 9 विद्यालयों का संचालन किया गया। वित्तीय वर्ष 2006–2007 में निर्माणाधीन विद्यालयों को पूर्ण करने तथा तीन विद्यालयों को इण्टरमीडिएट स्तर तक उच्चीकृत करने के लिए भवन विस्तार हेतु तथा इन्हीं 9 विद्यालयों में से तीन विद्यालयों यथा राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय वि□ुनपुर विश्राम बलरामपुर (बालिका), बालापुर बलरामपुर (बालक) एवं सिरसिया श्रावस्ती (बालक) को कक्षा–12 तक उच्चीकृत कर संचालन करने के उद्दे□य से आयोजनागत पक्ष में कुल रू0 212.64 लाख तथा आयोजनेत्तर पक्ष में संचालन हेतु रू0 177.34 लाख कुल रू0 389.98 लाख की व्यवस्था आय–व्ययक में की गयी है। प्रदेश के 6 जनपदों में वर्तमान में कुल 09 विद्यालय संचालित है। जिसका विवरण निम्नवत् है :–

कमांक	विद्यालय का नाम	कक्षायें	क्षमता
1–	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, लखीमपुर–खीरी ।	1–8	175 बालक
2–	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, चन्दनचौकी, लखीमपुर–खीरी	6–8	105 बालिका
3–	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, बेलापरसुआ, लखीमपुर–खीरी	6–8	105 बालक
4–	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, बालापुर, बलरामपुर।	6–12	265 बालक
5–	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, विशुनपुर विश्राम, बलरामपुर।	6–12	265 बालिका
6–	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, सिरसिया, श्रावस्ती।	6–12	265 बालक
7–	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, बिछिया, बहराइच।	1–5	150 बालिका
8–	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, नजीबाबाद, बिजनौर।	6–8	105 बालक
9–	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, नौतनवॉ, महराजगंज।	6–8	105 बालक
	योग–		1060

नोट– कक्षा 9 से 12 में छात्रों का वर्ष 2008–09 में प्रवेश नहीं हुआ है।

बुक बैंक की स्थापना :–
चालू वित्तीय वर्श 2004–05 में नई योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को बुक बैंक की स्थापना हेतु निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए अनुदान देने हेतु रू0 10.00 लाख की व्यवस्था द्वितीय अनुपूरक के अन्तर्गत की गयी है। वित्तीय वर्श 2005–06 इस योजना में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है आगामी वित्तीय वर्श 2006–07 में रू0 10.00 लाख की व्यवस्था की गयी है। वित्तीय वर्ष 2007–2008 में योजना में कोई धनराशि की व्यवस्था नहीं की गयी है। तथा वर्श 2008–2009 में रू0 10.00 लाख की व्यवस्था आय–व्ययक में की गयी है।

पूर्वदशम कक्षाओं में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्तीय सहायताः–

पूर्वदशम कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृति प्रदान करने की व्यवस्था हैं। 1–8 तक की कक्षाओं में पढने वाले सभी छात्र/छात्राओं को अनिवार्य रूप से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है इसके अतिरिक्त कक्षा 9 व 10 में पढने वाले छात्र/छात्राओं को जिनके अभिभावकों की मासिक आय रू0 2500/– से कम है, को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कक्षा 1 से 5 तक रू0 25.00 प्रति माह, 6 से 8 तक प्रति माह रू0 40.00 एवं 9–10 तक रू0 60.00 प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति की धनराशि का भुगतान किया जा रहा है।

(रूपये लाख मे)

वर्ष	आय–व्ययक प्राविधान			व्यय की गयी धनराशि			लक्ष्य	उपलब्धि
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग		
2004–2005	143.93	36.50	180.43	121.16	35.59	156.75	45682	41801
2005–2006	162.13	36.50	198.63	71.83	34.08	105.91	52785	28883
2006–2007	1292.90	36.50	1329.40	426.49	35.89	462.47	3,35,687	127380
2007–2008	53.00	614.02	667.02	–	217.59	217.59	179709	624.30
2008–2009	53.00	614.02	667.02	–	287.47	287.47	176432	77130
								2/09तक

पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2004–2005 में आयोजनागत पक्ष में रूपया 121.16 लाख तथा आयोजनेत्तर पक्ष में रू0 35.59 लाख कुल रू0 156.75 लाख व्यय करके 41801 छात्रों को लाभान्वित किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2005–2006 में माह जनवरी, 2006 तक आयोजनागत पक्ष में रू0 71.83 लाख तथा आयोजनेत्तर पक्ष में रू0 34.08 लाख कुल रू0 105.91 लाख व्यय करके छात्रों को लाभान्वित किया गया । वर्ष 2006–07 में आयोजनागत पक्ष में रू0 1292.90 लाख तथा आयोजनेत्तर पक्ष में रू0 36.50 लाख कुल रू0 1329.40 लाख की व्यवस्था की गयी है।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का संचालनः–

वित्तीय वर्ष 2003–04 में जनपद सोनभद्र में एक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त आई0 टी0 आई0 में कुल 3 ट्रेड, मोटर मकैनिक, फिटर एंव कम्प्यूटर खोले जाएगें। उक्त संस्थान में प्रारम्भ के वर्ष में 48 छात्र तथा उसके दूसरे वर्ष में 96 छात्र अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार उक्त संस्थान कुल 96 छात्रों की क्षमता वाला होगा। उक्त तीनों ट्रेडों के संचालन पर चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में कुल रू0 55.19 लाख की व्यवस्था आय–व्ययक में की गयी है।
वित्तीय वर्ष 2006–07 में उक्त आई0टी0आई0 के संचालन हेतु विभिन्न चार मानक मदों के प्रत्येक मद में प्रतिकात्मक व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए कुल रू0 0.04 लाख की व्यवस्था आय–व्ययक में की गयी है।

अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को यूनीफार्म एंव बाइसिकिल अनुदानः–

अनुसूचित जनजाति के कक्षा 6–12 तक की वे गरीब छात्राएँ जो विभाग द्वारा संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में नहीं पढ़ती हैं, बल्कि किसी दूसरे विद्यालय में पढ़ती हैं, को प्रोत्साहन स्वरूप यूनीफार्म एंव बाइसिकिल निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु उपरोक्त योजना वित्तीय वर्ष 2003–04 में स्वीकृत की गयी है, जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004–05 में रू0 15.00 लाख के उपलब्ध आय–व्ययक प्राविधान के सापेक्ष रू0 1.98 लाख व्यय किया गया वित्तीय वर्श 2005–06 में रू0 15.00 लाख के उपलब्ध आय–व्ययक प्राविधान के सापेक्ष माह जनवरी 2006 तक रू0 1.15 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2006–07 में उक्त योजनान्तर्गत कुल रू0 –15.00 लाख की व्यवस्था आय–व्ययक में की गयी है। वित्तीय वर्ष 2007–2008 में रू0 15.00 लाख आय–व्ययक प्राविधान के सापेक्ष रू0 7.20 लाख की धनराशि की व्यवस्था की गयी है। तथा वर्श 2008–2009 में रू0 15.00 लाख की व्यवस्था आय–व्ययक में की गयी है।

शोध छात्रवृत्ति :–

इस योजना के अन्तर्गत जनजातियों के विकास पर किये जाने वाले शोध छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में भारत सरकार से शत–प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2004–2005 में इस योजनान्तर्गत रू0 4.00 लाख के उपलब्ध आय–व्ययक प्राविधान के सापेक्ष व्यय भून्य रहा। वर्ष 2005–2006 में रू0 4.00 लाख के उपलब्ध आय–व्ययक प्राविधान के सापेक्ष माह जनवरी 2006 तक व्यय भून्य रहा है। वित्तीय वर्ष 2006–2007 में इस योजनान्तर्गत रू0 4.00 लाख की व्यवस्था आय–व्ययक में की गयी हैं।

जनजाति उपयोजना के लिये विशेष केन्द्रीय सहायताः–

इस योजना के अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद 275 (1) पाकेट प्लान तथा प्रीमीटिव ग्रुप्स के अन्तर्गत एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, चन्दनचौकी, खीरी, थारू विकास परियोजना, बलरामपुर, आदिम जनजाति विकास परियोजना, नजीबाबाद, बिजनौर, बिखरी जनजातियों के विकास के लिये संचालित योजनाओं हेतु भारत सरकार से प्राप्त धनराशि को उनके आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर व्यय किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की सहायता से ही बुक्सा आदिम जनजाति समूह के विकास हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम की जनश्री बीमा योजना के अन्तर्गत 500 आदिम जनजाति समूह परिवारों को लाभान्वित करने हेतु वित्तीय वर्श 2006–07 में रू0 2.50 लाख की व्यवस्था आय–व्ययक में की गयी है। जनपद लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, महराजगंज, बहराइच एवं श्रावस्ती में थारू तथा जनपद बिजनौर में बुक्सा जनजातियॉ निवास करती हैं जिनके कल्याणार्थ उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2004–2005 से निम्न प्रकार से धनराशि व्यय की गयी है।

(रूपये लाख में)

वर्ष	बजट प्राविधान आयोजनागत	व्यय की गयी धनराशि
2004–2005	67.10	29.32
2005–2006	238.40	57.90
2006–2007	69.60	16.90
2007–2008	990.93	806.36
2008–2009	1150.53	4.09 फरवरी, 09 तक

संविधान की धारा 275 (1) के अन्तर्गत :–

इस केन्द्रीय सहायता को एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, चन्दनचौकी, खीरी तथा थारू विकास परियोजना, बलरामपुर द्वारा संचालित कार्यक्रमों पर व्यय किया जाता है। उक्त परियोजनाओं द्वारा जनजाति के शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के कार्यक्रमों सम्बन्धी अवस्थापना मदों पर व्यय किया जाता है। वर्ष 2004–2005 में रू0 30.00 लाख के आय–व्ययक प्राविधान के विरूद्ध रू0 11.71 लाख की धनराशि व्यय की गयी है। वर्ष 2005–2006 में रू0 120.00 लाख का आय–व्ययक प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष माह जनवरी, 2006 तक व्यय भून्य रहा है। वित्तीय वर्ष 2006–2007 में कुल रू0 30.00 लाख की व्यवस्था आय–व्ययक में की गयी है। वित्तीय वर्ष 2007–2008 में रू0 481.63 लाख के आय–व्ययक प्राविधान के सापेक्ष रू0 367.70 लाख व्यय किया गया। तथा वर्श 2008–2009 में रू0 654.51 लाख के आय–व्ययक प्राविधान के सापेक्ष फरवरी, 2009 तक रू0 4.09 लाख व्यय किया गया।

पाकेट प्लान तथा प्रिमिटिव ग्रुप्स योजना :–

उपर्युक्त के अतिरिक्त पाकेट प्लान तथा प्रिमिटिव ग्रुप्स योजना के अन्तर्गत एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, चन्दनचौकी, खीरी तथा थारू विकास परियोजना, विश्रुनपुर–विश्राम, जनपद बलरामपुर द्वारा संचालित योजनाओं के लिये शत–प्रतिशत भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त होती है। वित्तीय वर्ष
2004–2005 में रू0 13.61 लाख की धनराशि व्यय की गयी है। वर्ष 2005–2006 में रू0 108.40 लाख की व्यवस्था आय–व्ययक में की गयी है। वित्तीय वर्ष 2006–2007 में इस योजना में कुल रू0 27.10 लाख की धनराशि आय–व्ययक में व्यय हेतु व्यवस्था की गयी है, जिसके सापेक्ष रू0 9.95 लाख व्यय की गयी। वित्तीय वर्ष 2007–2008 में रू0 96.91 लाख के आय–व्ययक प्राविधान के सापेक्ष रू0 96.91 लाख व्यय किया गया। तथा वर्श 2008–2009 में रू0 94.34 लाख के आय–व्ययक प्राविधान के सापेक्ष फरवरी, 2009 तक व्यय शून्य है।

बुक्सा आदिम जनजाति उत्थान :–

बुक्सा जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम समूह घोषित किया गया है। अतः इस योजना हेतु भारत सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। बुक्सा आदिम जनजाति जनपद बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र में निवास करती हैं।

वित्तीय वर्ष 2004–2005 में आयोजनागत पक्ष में उपलब्ध रू0 5.00 लाख के आय–व्ययक प्राविधान के सापेक्ष व्यय शून्य रहा है। वित्तीय वर्ष 2005–06 में आयोजनागत पक्ष में उपलब्ध रू0 5.00 लाख के आय–व्ययक में व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2006–07 में इस योजनान्तर्गत रू0 5.00 लाख की व्यवस्था की गयी है।

(रूपये लाख में)

वर्ष	बजट प्राविधान आयोजनागत	व्यय की गयी धनराशि
2004–2005	5.00	–
2005–2006	5.00	1.91
2006–2007	5.00	1.28
2007–2008	18.40	18.40
2008–2009	13.20	–

बिखरी आबादी वाले जनजातियों का विकास :–

यह योजना मैदानी क्षेत्र में जनपद बहराइच, श्रावस्ती एवं महराजगंज में संचालित की जा रही है, इस योजना हेतु विकास मद में वर्ष 2004–2005 में रू0 4.00 लाख की धनरा□ि व्यय की गयी है, वर्ष 2005–2006 में रू0 5.00 लाख की व्यवस्था की गयी है। वर्ष 2006–2007 में रू0 5.00 लाख आय–व्ययक में व्यवस्था की गई है। वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :–

(रूपये लाख में)

वर्ष	बजट प्राविधान आयोजनागत	व्यय की गयी धनरा□ि
2004–0005	5.00	4.00
2005–2006	5.00	–
2006–2007	5.00	–
2007–2008	393.99	323.35
2008–2009	388.48	–

जनजाति क्षेत्र उपयोजना :–

1– जनपद खीरी एवं बलरामपुर में संचालित परियोजनाओं द्वारा चिकित्सालयों के संचालनार्थ प्रथमबार राज्य सहायता के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2002–2003 में आयोजनागत पक्ष में रू0 8.35 लाख की व्यवस्था आय–व्ययक में की गयी थी। जिसके सापेक्ष रू0 4.00 लाख की धनराशि व्यय की गयी। वित्तीय वर्ष 2003–2004 में उपलब्ध आय–व्ययक प्राविधान रू0 8.35 लाख के सापेक्ष रू0 8.35 लाख की धनरा□ि व्यय की गयी। वित्तीय वर्ष 2004–05 में उक्त योजनान्तर्गत उपलब्ध प्राविधान रू0 8.35 लाख के सापेक्ष व्यय भून्य रहा है। वित्तीय वर्श 2005–06 में उपलब्ध प्राविधान रू0 8.35 लाख के सापेक्ष रू0 8.35 लाख व्यय किया गया है। वर्श 2006–07 में इस योजना में रू0 8.35 लाख का आय–व्ययक में प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष रू0 8.30 लाख व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2007–2008 में रू0 8.35 लाख के आय–व्ययक प्राविधान के सापेक्ष रू0 8.35 लाख व्यय किया गया। तथा वर्श 2008–2009 में रू0 8.35 लाख के आय–व्ययक प्राविधान के सापेक्ष फरवरी, 2009 तक रू0 1. 53 लाख व्यय किया गया।

2– अनुसूचित जनजातियों में 10 नई जातियों को सूचीबद्ध किये जाने के उपरान्त इन सभी अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास हेतु जनपद सोनभद्र में एकीकृत जनजाति विकास परियोजना कार्यालय की स्थापना का प्रस्ताव है इसी उद्दे□य से जनजाति बाहुल्य वाले जनपद सोनभद्र में एकीकृत जनजाति परियोजना की स्थापना हेतु चालू वित्तीय वर्श 2005–06 के आय–व्ययक में रू0 184.02 लाख की व्यवस्था की गई है। वर्श 2006–07 में उक्त योजना अन्तर्गत रू0 79.40 लाख की व्यवस्था आय–व्ययक में की गयी है, जिसके सापेक्ष रू0 39.69 लाख व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2007–2008 में रू0 96.93 लाख के आय–व्ययक प्राविधान के सापेक्ष व्यय शून्य रहा। तथा वर्श 2008–2009 में रू0 94.64 लाख के आय–व्ययक प्राविधान के सापेक्ष फरवरी, 2009 तक रू0 34.32 लाख व्यय किया गया।

अन्य व्यय :–

इस शीर्षक के अन्तर्गत कुल 5 योजनाएँ संचालित हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्श 2006–07 में एक नई योजना विकलांग व्यक्तियों हेतु कौशल विकास केन्द्र के निर्माण के लिए रू0 2.00 लाख की व्यवस्था आय–व्ययक में की गयी है। इन योजनाओं पर वर्ष 2004–05 से निम्न प्रकार से धनराशि व्यय की गयी है:–

(रूपये लाख में)

वर्ष	आय–व्ययक प्राविधान			व्यय धनराशि		
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
2004–2005	22.50	81.75	104.25	23.70	73.18	96.88
2005–2006	22.51	81.75	104.26	12.75	63.34	76.09
2006–2007	27.01	84.75	111.76	–	–	–

योजनावार विवरण निम्नवत हैः–
अत्याचारों से उत्पीड़ित अनु0जनजातियों की सहायताः–

इस योजनान्तर्गत अत्याचारों से उत्पीड़ित जनजाति परिवारों को तुरन्त सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2004–05 से प्राविधान एंव व्यय का विवरण निम्न प्रकार हैः–

(रूपये लाख में)

वर्ष	बजट प्राविधान			व्यय की गयी धनराशि		
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
2004–2005	2.50	1.00	3.50	3.88	–	3.88
2005–2006	2.50	1.00	3.50	5.19	–	5.19
2006–2007	5.00	1.00	6.00			
2007–2008	16.50	1.00	17.50	16.875	–	16.875
2008–2009	10.00	1.00	11.00	2.75	–	2.75

स्वैच्छिक संगठनों को अनुदानः–

अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ 800–अन्य व्यय शीर्षक में स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान दिये जाने की योजना संचालित है। वर्ष 2004–2005 में उपलब्ध रू0 2.50 लाख प्राविधान के सापेक्ष व्यय भून्य रहा हैं। वित्तीय वर्ष 2005–2006 में रू0 2.51 लाख के प्राविधान के सापेक्ष व्यय भून्य रहा है। वित्तीय वर्ष 2006–07 में कुल रू0 2.51 लाख की व्यवस्था आय–व्ययक में की गयी है।

अनु0जनजाति की बालिकाओं के विवाह एंव गम्भीर बीमारी के इलाज हेतु अनुदानः–

अनुसूचित जनजाति के गरीब परिवार के बालिकाओं के विवाह एवं गम्भीर बीमारी के इलाज हेतु अनुदान स्वीकृत करने की योजना वित्तीय वर्ष 2002–03 से प्रारम्भ की गयी है। वर्ष 2004–2005 में रू0 14.82 लाख व्यय किया गया। वर्ष 2005–2006 में आयोजनागत पक्ष में रू0 15.00 लाख की उपलब्ध आय–व्ययक प्राविधान के सापेक्ष रू0 7.56 लाख व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2006–07 में रू0 15.00 लाख की व्यवस्था आय–व्ययक में की गयी है। वित्तीय वर्ष 2007–2008 में रू0 15.00 लाख के आय–व्ययक प्राविधान के सापेक्ष रू0 14.28 लाख व्यय किया गया तथा वर्श 2008–2009 में रू0 15.00 लाख की आय–व्ययक में व्यवस्था की गयी है।

उपर्युक्त कार्यक्रम के अतिरिक्त अन्य व्यय के अन्तर्गत ही एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, चन्दनचौकी, खीरी, थारू विकास परियोजना, विशुनपुर विश्राम बलरामपुर, बुक्सा आदिम जनजाति परियोजना, नजीबाबाद–बिजनौर तथा महराजगंज एंव बहराइच में जिला स्तर पर नियुक्त स्टाफ् के अधिष्ठान व्यय (जनजाति उपयोजना) वहन किया जाता है जिनका वर्षवार योजनावार विवरण निम्न प्रकार है :–

जनजाति उपयोजनाएँ:–

एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, चन्दनचौकी, खीरी :–

यह योजना वर्ष 1976–77 से प्रारम्भ हुई। इस योजना का संचालन वर्ष 1980 से तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लि0, द्वारा किया जा रहा था। इससे पूर्व यह योजना समाज कल्याण निदेशालय द्वारा संचालित की जा रही थी। जिसे 1985–86 से निदेशालय जनजाति विकास द्वारा संचालित किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा उक्त परियोजना पर वर्ष 2004–2005 से वर्षवार अधिष्ठान हेतु बजट प्राविधान तथा व्यय निम्न प्रकार है :–

(रूपये लाख में)

वर्ष	बजट प्राविधान आयोजनेत्तर	व्यय की गयी धनरा□ा आयोजनेत्तर
2004–2005	37.00	36.99
2005–2006	37.00	31.29
2006–2007	38.00	34.83
2007–2008	48.58	48.55
2008–2009	53.07	44.17

जनजाति क्षेत्रीय कार्यक्रम–थारू विकास परियोजना, बलरामपुरः–

यह परियोजना वर्ष 1980–81 से तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा संचालित की जा रही थी। जिसे जून, 1996 से निदेशालय, जनजाति विकास द्वारा संचालित किया जा रहा हैं। इस परियोजना द्वारा एक जन–चिकित्सालय, एक पशु चिकित्सालय, 3 स्टाक मैन सेन्टर, एक प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है। जिनमें विभिन्न व्यवसायों में जनजाति युवकों एवं युवतियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त परिवारोन्मुखी आर्थिक विकास कार्यक्रम, गृह निर्माण, सड़क एवं ग्रामों के विद्युतीकरण आदि का कार्य उक्त परियोजना द्वारा संचालित किया गया। वर्ष 2004–2005 से वर्षवार अधिष्ठान का आय–व्ययक प्राविधान तथा व्यय निम्न प्रकार है :–

(रूपये लाख में)

वर्ष	बजट प्राविधान आयोजनेत्तर	व्यय की गयी धनराशि आयोजनेत्तर
2004–2005	31.25	29.22
2005–2006	31.25	25.21
2006–2007	32.25	28.34
2007–2008	37.46	35.26
2008–2009	40ण्89	27.92

अधिष्ठान व्यय हेतु आर्थिक सहायताः–

इस योजनान्तर्गत जनपद बिजनौर में निवासरत बुक्सा जनजातियों को भारत सरकार से प्राप्त शत–प्रतिशत सहायता से विकास करने हेतु एक बुक्सा आदिम जनजाति परियोजना नजीबाबाद–बिजनौर में स्थापित किया गया है, जिसमें नियुक्त स्टाफ के अधिष्ठान व्यय की व्यवस्था इस योजनान्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष से की जाती है। वर्ष 2004–05 से इस योजना पर निम्न प्रकार से धनराशि व्यय की गयी हैः–

(रूपये लाख में)

वर्ष	बजट प्राविधान आयोजनेत्तर	व्यय की गयी धनराशि आयोजनेत्तर
2004–2005	4.50	2.33
2005–2006	4.50	2.24
2006–2007	5.00	–
2007–2008	5.29	4.84
2008–2009	5.68	5.37

बिखरी आबादी वाली जनजातियो का विकासः–

जनपद महराजगंज, बहराइच एंव श्रावस्ती में बिखरी जनजातियों को भारत सरकार से प्राप्त शत–प्रतिशत सहायता से आर्थिक विकास कार्यक्रम जनजाति उपयोजना के विशेश केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत संचालित हैं, उक्त योजना के संचालन हेतु जिला स्तर पर जनपद बहराइच एंव महराजगंज में जो स्टाफ नियुक्त है, उनके अधिष्ठान व्यय की व्यवस्था उपरोक्त योजनान्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष से की जाती है। वर्ष 2004–05 से उक्त योजना पर निम्न प्रकार से धनराशि व्यय की गयी हैः–

(रूपये लाख में)

वर्ष	बजट प्राविधान आयोजनेत्तर	व्यय की गयी धनराशि आयोजनेत्तर
2004–2005	5.50	4.64
2005–2006	5.50	4.60
2006–2007	6.00	5.50
2007–2008	7.06	6.64
2008–2009	7.69	6.81

विभिन्न आयोजनों हेतु सामुदायिक केन्द्रों का निर्माणः–

अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को उनके परम्पराओं, समय–समय पर व्यवहृत होने वाले त्योहारों के अवसरों पर होने वाले कार्यक्रमों तथा शैक्षिक एंव सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजनों हेतु सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण किया जाना है, इसी उद्देश्य से प्रथम बार वित्तीय वर्ष 2003–04 से उक्त योजना प्रारम्भ की गयी है। वर्श 2004–05 में उपलब्ध आय–व्ययक प्राविधान रू0 5.00 लाख के सापेक्ष 5.00 लाख की धनराशि व्यय करके सामुदायिक केन्दों का निर्माण किया जाना है। वर्ष 2005–06 में रू0 5.00 लाख का आय–व्ययक प्राविधान उपलब्ध है। वित्तीय वर्श 2006–07 में रू0 5.00 लाख का प्राविधान के सापेक्ष रू0 5.00 लाख व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2007–2008 में रू0 5.00 लाख के आय–व्ययक प्राविधान के सापेक्ष रू0 5.00 लाख व्यय किया गया तथा वर्श 2008–2009 में रू0 6.32 लाख की आय–व्ययक में व्यवस्था की गयी है।